App – A

Crim-1

FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 20)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी / उपखण्ड मजिस्ट्रेट निवाई टोंक

न ज्ञानसिंह बनाम किरण कंवर किस्म मुकदमा : प्रा0पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

मा नम्बर 25/2026

रीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्श जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
0.02.2026	मूल वाद के साथ अधिवक्ता श्री सतीश कुमार शर्मा ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। कार्यालय से रिपोर्ट होकर प्राप्त हुआ। अवलोकन किया गया। दर्ज रजिस्टर किया जावे। हमारे द्वारा मजमून प्रार्थना पत्र इसके साथ संलग्न नकलें राजस्व अभिलेख पर गौर किया गया। एवं प्रथम पक्ष की एकतरफा बहस सूनी गई। प्रकरण में अपूर्णिय क्षति की संभावना को देखते हुए प्रकरण में आगामी पेशी तक आराजी ख0नं0 1403/2024 रकबा 6.0956 है0, 1642/2025 रकबा 0.7588 वाके ग्राम राहोली पटवार हल्का राहोली तह0 निवाई में स्थित भूमि के कब्जे काश्त की रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाता है यदि अप्रार्थीगण को इस आदेश से कोई आपत्ति हो तो हाजिर अदालत होकर पेश करें। तलबी अप्रार्थीगण की जरिए रजि0एडि की जावे। पत्रावली आगामी तारीख पेशी दिनांक 16/3/26 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी निवाई (टोंक)	605-617 12/2/26
16/3/26	पत्रावली पेश हुई। आज PO साहब अन्य राजकार्य में व्यस्त हैं। अतः पत्रावली गतादेशानुसार दिनांक 27/3/26 को पेश हो।	
27/3/26	पत्रावली पेश हुई। [illegible] वादी/प्रार्थी द्वारा तलब करवाया [illegible] विड्रॉ कर लिया गया है जिसके इस पत्रावली में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाती है। पत्रावली	

P.T.O.

मॉडल - अनुमोदन होने, नक्शा में कटौती
ज्यादा विलंब उत्पन्न होकर पारित
विलम्ब हो